



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2017/वैशाख 8, 1939

No. 168]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2017/VAISAKHA 8, 1939

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली 27 अप्रैल, 2017

1 a 7&29@2017 %i ath; u½ Hkk-fp-dsia—विनियम 2016. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 के खण्ड (ड), (ढ) तथा (ण) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका) विनियम, 1979 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या किये जाने का लोप किया गया है, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से निम्न विनियमों का निमार्ण करती है, यथा:—

1. Lkf{klr rkhpd rFkk ikjEHk – (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका) विनियम, 2016 कहा जायेगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2- ifjHkkbk, a & इन विनियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "अधिनियम" से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्रपत्र" से इन विनियमों के साथ सलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचित केन्द्रीय परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

(घ) "रजिस्ट्रार" से अधिनियम की धारा 12 के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त केन्द्रीय परिषद् का रजिस्ट्रार जो केन्द्रीय परिषद् के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा अभिप्रेत है।

(ङ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(च) "उपाध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन निर्वाचित केन्द्रीय परिषद् का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।

- (छ) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं, परन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का अभिप्राय अधिनियम में उनके लिए दिये गए अर्थ से होगा।
- 3- Hkkjrh; fpfdRI k dh dUnh; iftdk dk j[k&j[kko ,oa ixdk ku &(1) रजिस्ट्रार वर्णमाला के क्रम में राज्यवार चार भागों यथा आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा सोवा रिग्पा पद्धतियों में व्यवस्थित भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का रख-रखाव करेगा जिसमें केन्द्रीय परिषद् की मुहर होगी।
- (2) संबंधित चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासियों के विवरण का अद्यतन करके भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका परिशोधित की जाएगी तथा इसे जून, 2017 तक प्रकाशित कराया जाएगा। भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका की प्रथम परिशोधित प्रति के प्रकाशन के पश्चात् प्रति वर्ष भारत के राजपत्र में भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का अनुपूरण प्रकाशित कराया जाएगा तथा जहां तक संभव हो, भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका प्रत्येक पांच वर्ष में परिशोधित कर प्रकाशित कराई जाएगी।
- (3) भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका में एक प्राक्कथन भी होगा जिसमें केन्द्रीय परिषद् की मुहर के साथ एक आवश्यक पृष्ठ, राज्य बोर्ड के नाम जिनकी पंजिका से भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका संकलित की गई है, पंजिका में प्रदर्शित की गई अर्हताओं का संक्षिप्त रूप, अधिनियम की अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट मान्यता प्राप्त अर्हताओं की अद्यावधिक सूची, भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यासियों के पंजीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण धाराएं तथा केन्द्रीय परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों (राज्यवार) तथा रजिस्ट्रार के नामों का समावेश होगा।
- (4) भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका में प्रकाशित चिकित्साभ्यासियों के विवरण के परिशोधन हेतु भारतीय चिकित्सा के प्रत्येक चिकित्साभ्यासी भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की वेबसाईट अर्थात् www.ccimindia.org पर उपलब्ध ऑन लाइन पंजीकरण पद्धति के माध्यम से प्रपत्र 'ख' में यथाअपेक्षित उनका विवरण उपलब्ध कराकर स्वयं को पंजीकृत करेंगे, भले ही उनका नाम भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका में पहले से ही प्रविष्ट हो अथवा न हो। सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑन लाइन आवेदन करने वाले चिकित्साभ्यासी को केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा तथा नए केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र में इसकी यथार्थ वास्तविकता चिह्नित करने हेतु सुरक्षा की विशेषता होगी।
- (5) जिन राज्यों में बोर्ड अथवा परिषद् विद्यमान नहीं हैं, उन राज्यों के आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा सोवा रिग्पा के चिकित्साभ्यासी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय परिषद् में स्वयं को सीधे पंजीकृत करवाएंगे।
- (6) आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा सोवा रिग्पा के वे चिकित्साभ्यासी जो कि विदेशी नागरिक हैं तथा जो भारत में स्नातकोत्तर अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा जारी रखना चाहते हैं, धारा 15 तथा 16 के प्रावधानों के अधीन मात्र अध्ययन के उद्देश्य से (अस्थाई) केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय परिषद् में स्वयं को पंजीकृत करवाएंगे।
- (7) आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा सोवा रिग्पा के वे चिकित्साभ्यासी जो कि एक ब्राह्य देश से मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता प्राप्त कर रहे हैं तथा भारत में चिकित्साभ्यास करना चाहते हैं अथवा भारत में स्नातकोत्तर या स्नातकोत्तर डिप्लोमा जारी रखना चाहते हैं, धारा 15 तथा 16 के प्रावधानों के अधीन केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय परिषद् में स्वयं को पंजीकृत करवायेगें।
- (8) नया केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय परिषद् द्वारा पूर्व में पहले से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा नामांकन प्रमाणपत्र को समर्पित करना होगा।
- 4 jkT; ckMkã }kjk l ipuk vki fr& (1) सभी राज्य बोर्ड प्रथमतः अपनी भारतीय चिकित्सा की राज्य पंजिकाओं में प्रविष्ट पंजीकृत चिकित्साभ्यासियों, जो अधिनियम की द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट कोई मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता रखते हों, की सूचियों के तथा तत्पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान की गई सभी नई प्रविष्टियों के संबंध में केन्द्रीय परिषद् को सूचित करेंगे तथा केन्द्रीय परिषद् को सूचनाएं मात्र ऑनलाइन माध्यम से प्रपत्र (क) में प्रत्येक राज्य बोर्ड को केन्द्रीय परिषद् द्वारा आर्बिटल लॉगइन कंटेन्शियल के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी तथा हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी।
- (2) राज्य बोर्ड अतिरिक्त अर्हताओं के नाम अथवा पंजीकरण में किसी परिवर्तन अथवा संबंधित राज्य बोर्ड में पंजीकृत भारतीय चिकित्सा के किसी चिकित्साभ्यासी (जैसाकि अधिनियम की धारा 27 के खण्ड (1) द्वारा अपेक्षित है) के पते में परिवर्तन अथवा किसी नाम के हटाए जाने के संबंध में भी तत्काल केन्द्रीय परिषद् को सूचित करेंगे।

5 dlnh; iathtdj.k iæk.ki = iklr djus grq vkonu% (1) केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा सोवा रिग्पा के वे सभी चिकित्साभ्यासी जिनके नाम भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका में प्रविष्ट है, प्रपत्र 'ख' में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करेंगे।

(2) केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र (धारा 25 के अधीन) प्राप्त करने हेतु आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी सोवा रिग्पा के वे सभी चिकित्साभ्यासी भी प्रपत्र 'ख' में सीधे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करेंगे जिन्होंने वैध राज्य पंजीकरण प्राप्त किया है।

(3) केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा सोवा रिग्पा के वे सभी चिकित्साभ्यासी भी प्रपत्र 'ख' में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करेंगे, जो उन राज्यों के हैं जहाँ बोर्ड अथवा परिषद् विद्यमान नहीं हैं।

(4) केन्द्रीय परिषद् से अतिरिक्त अर्हता(ओं) का पंजीकरण (धारा 30 के अधीन) प्राप्त करने हेतु आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा सोवा रिग्पा के वे सभी चिकित्साभ्यासी भी प्रपत्र 'ख' में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करेंगे जिन्होंने वैध राज्य पंजीकरण प्राप्त किया है।

(5) उप-विनियम (1), (2), (3) तथा (4) में यथा उल्लिखित ऐसे प्रत्येक आवेदन हेतु आवेदन शुल्क के रूप में दो हजार रुपये के शुल्क का भुगतान ऑनलाइन भुगतान अथवा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा तथा रजिस्ट्रार द्वारा उसकी मुहर सहित ऐसे सभी व्यक्तियों को, जिन्होंने उक्त उप-विनियमों के अधीन आवेदन किया है, प्रपत्र 'ग' में एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(6) आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा सोवा रिग्पा के सभी चिकित्साभ्यासी जोकि विदेशी अर्हता(ओं) (धारा 16 के अधीन) जो कि अधिनियम की अनुसूची के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है, का पंजीकरण प्राप्त करना चाहते हैं, प्रपत्र 'ख' में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करेंगे जिसके लिए आवेदन शुल्क के रूप में दस हजार रुपये का भुगतान ऑनलाइन भुगतान अथवा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही रजिस्ट्रार द्वारा उसकी मुहर सहित ऐसे सभी व्यक्तियों को, जिन्होंने इस उप-विनियम के अधीन आवेदन किया है, प्रपत्र 'घ' में एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(7) आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा सोवा रिग्पा के सभी चिकित्साभ्यासी जोकि भारत में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के उद्देश्य हेतु अस्थायी पंजीकरण प्राप्त करना चाहते हैं, प्रपत्र 'ख' में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करेंगे जिसके लिए आवेदन शुल्क के रूप में पांच हजार रुपये का भुगतान ऑनलाइन भुगतान अथवा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही रजिस्ट्रार द्वारा उसकी मुहर सहित ऐसे सभी व्यक्तियों को, जिन्होंने इस उप-विनियम के अधीन आवेदन किया है, प्रपत्र 'ड' में एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(8) आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा सोवा रिग्पा के सभी चिकित्साभ्यासी जोकि आवास अथवा चिकित्साभ्यास (धारा 31 के अधीन) के पते में परिवर्तन करना चाहते हैं, प्रपत्र 'ख' में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करेंगे जिसके लिए आवेदन शुल्क के रूप में पांच हजार रुपये का भुगतान ऑनलाइन भुगतान अथवा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही रजिस्ट्रार द्वारा उसकी मुहर सहित ऐसे सभी व्यक्तियों को, जिन्होंने इस उप-विनियम के अधीन आवेदन किया है, प्रपत्र 'ग' में एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(9) राज्य बोर्ड अथवा परिषद् तथा आवेदक पंजीकरण हेतु क्रमशः सूचना प्रस्तुत करने तथा पंजीकरण हेतु आवेदन करने के उद्देश्य से समय-समय पर केन्द्रीय परिषद् द्वारा इसकी वेबसाइट पर जारी दिशा निर्देशों का अनुसरण करेंगे।

6 jkT; i ftdk ea uke dh cgkyh ds fy, vihy %

कोई व्यक्ति जिसका नाम भारतीय चिकित्सा की राज्य पंजिका से इस आधार पर कि उसे अपेक्षित चिकित्सीय अर्हता प्राप्त नहीं है अथवा भारतीय चिकित्सा की राज्य पंजिका में उसके नाम की बहाली हेतु उन व्यक्तियों का कोई आवेदन निरस्त कर दिया गया हो, के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर हटा दिया गया हो तो वह अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार को प्रपत्र-"च" में एक अपील दायर कर सकता है तथा दायर की गई ऐसी प्रत्येक अपील सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के पक्ष में देय पांच हजार रुपये के शुल्क के साथ होगी।

i i = ^d*

[fofu; e 4¼½ ns[k] jkT; i ftdk ea fpdfRI kH; kfl ; ka dk fooj.k
¼d¼n¼; i ftdk ds v | ru ds fy, jkT; ckMZ }kj i Lr q fd; k tkus g r q

1- 0; fDrxr fooj.k

0; fDrxr fooj.k

चिकित्साभ्यासी का नाम
पिता का नाम
जन्म तिथि

I Ei ¼d g r q i r s dk fooj.k

पता
राज्य
शहर
पिन कोड
मोबाइल संख्या
दूरभाष संख्या

LFkk¼ i r s dk fooj.k

क्या स्थाई पता तथा सर्मक हेतु पता समान है? हाँ/नहीं
पता
राज्य
शहर
पिन कोड
मोबाइल संख्या
दूरभाष संख्या

fpdfRI kH; k l ds i r s dk fooj.k

क्या चिकित्साभ्यास का पता तथा सर्मक हेतु पता समान है? हाँ/नहीं
पता
राज्य
शहर
पिन कोड
मोबाइल संख्या
दूरभाष संख्या

2- vgrk dk fooj.k

vgrk

राज्य/संघ शासित प्रदेश जहाँ से अर्हता प्राप्त की गई थी
विश्व विद्यालय/बोर्ड या चिकित्सा संस्थान का नाम
महाविद्यालय/संस्थान का नाम
प्राप्त की गई मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता का नाम
उत्तीर्ण करने का वर्ष

i at h d j . k dh fLFkfr

राज्य बोर्ड पंजीकरण संख्या
राज्य बोर्ड के साथ पंजीकरण की प्रथम तिथि

vfrfjDr vgrk

स्नातकोत्तर उपाधि/स्नातकोत्तर डिप्लोमा
राज्य जहाँ से अतिरिक्त उपाधि प्राप्त की गई
विश्वविद्यालय का नाम
संस्थान का नाम
विशिष्टीकरण
उत्तीर्ण करने का वर्ष

orĕku 0; ol k; dk fooj.k

वर्तमान व्यवसाय

वर्तमान पदनाम

fpfdRI KH; kl grq i rs dk fooj.k

चिकित्साभ्यास हेतु पता 1

•

पता

•

राज्य

•

शहर

•

पिन कोड

•

दूरभाष संख्या

चिकित्साभ्यास हेतु पता 2

•

पता

•

राज्य

•

शहर

•

पिन कोड

•

दूरभाष संख्या

चिकित्साभ्यास हेतु पता 3

•

पता

•

राज्य

•

शहर

•

पिन कोड

•

दूरभाष संख्या

2- vgĕrk dk fooj.k

vgĕrk

चिकित्सा पद्धति

राज्य/संघ-शासित प्रदेश जहाँ से योग्यता उपाधि प्राप्त की गई थी

विश्व विद्यालय/बोर्ड या चिकित्सा संस्थान का नाम

संस्थान का नाम

प्राप्त की गई मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता का नाम

अर्हता की नामावली

उत्तीर्ण करने का वर्ष

i ĩthdj.k dh flfkfr

राज्य जहाँ के आप निवासी हैं

क्या आपके पास राज्य बोर्ड पंजीकरण संख्या है? हाँ/नहीं

राज्य बोर्ड का नाम

राज्य बोर्ड की पंजीकरण संख्या

राज्य बोर्ड से पंजीकरण की प्रथम तिथि

क्या राज्य पंजीकरण का नवीकरण आपके ऊपर लागू है? हाँ/नहीं

राज्य पंजीकरण के नवीकरण की अंतिम तिथि

क्या आपके राज्य के द्वारा आपका पंजीकरण किसी समय निरस्त किया गया था? हाँ/नहीं

निरस्त करने का कारण

क्या आपके पास केन्द्रीय पंजीकरण संख्या है? हाँ/नहीं

केन्द्रीय पंजीकरण संख्या

vfrfjDr vgĕrk

स्नातकोत्तर उपाधि/स्नातकोत्तर डिप्लोमा

राज्य जहाँ से अतिरिक्त उपाधि प्राप्त की गई

विश्वविद्यालय का नाम

संस्थान का नाम

विशिष्टीकरण

उत्तीर्ण करने का वर्ष

क्या अतिरिक्त अर्हता आपके राज्य से पंजीकृत है? हाँ/नहीं

vi ykM fd, tkus okys nLrkost ¼Lo; a vfiiki ækf. kr½

- आयु का प्रमाण (निम्न दस्तावेजों में से कोई एक)
- जन्म प्रमाण-पत्र
- मजिस्ट्रेट/नोटरी के सम्मुख ली गई शपथ का शपथ पत्र
- विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र/माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र संख्या
- अपलोड प्रमाण
- आवास प्रमाण/निवास प्रमाण पत्र (निम्न दास्तावेजों में से कोई एक)
- पासपोर्ट
- निवास प्रमाण-पत्र
- मतदाता पहचान पत्र
- यू आई डी आई ए द्वारा जारी कार्ड-आधार
- वर्तमान एवं वैध राशन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- चालू बैंक खाते की फोटो पासबुक
- पंजीकृत किराया समझौता
- पहचान-पत्र संख्या
- अपलोड प्रमाण

mi kf/k , oa l effktr nLrkost

- 1 योग्यता उपाधि प्रमाण पत्र (स्वयं प्रमाणित)
- 2 राज्य बोर्ड का पंजीयन प्रमाण पत्र (स्वयं प्रमाणित)
- 3 फोटोग्राफ (सफेद पृष्ठभूमि में)
- 4 हस्ताक्षर नमूना (काली स्याही में)
- 5 बाएं हाथ के अंगूठे का निशान
- 6 नये केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु पूर्व में जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र /नामांकन प्रमाण-पत्र (स्वयं प्रमाणित) यदि कोई हो तो, समर्पित करने होंगे
- 7 अतिरिक्त अर्हता उपाधि प्रमाण-पत्र (स्वयं प्रमाणित)

2- Hkqrku fooj.k

Hkqrku l ipuk

भुगतान का प्रकार (ऑनलाइन)
ऑफ लाइन भुगतान के मामलों में कृपया निम्न का उल्लेख करें
डिमांड ड्राफ्ट जारी करने की तिथि
ड्राफ्ट/ट्रांजेक्शन संदर्भ संख्या
डिमांड ड्राफ्ट की राशि
बैंक का नाम
बैंक की शाखा का कोड
बैंक का शहर
डिमांड ड्राफ्ट का स्कैन किया गया चित्र अपलोड करें

?kks k. kk

मैंने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 के प्रावधान अध्याय-IV – भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका, धारा # 23, 25, 26, 27, 29, 30 एवं 31, जो पंजीकरण से संबंधित है, को समझ लिया है तथा मैं इनका अनुसरण करना स्वीकार करता/करती हूँ। मैं सत्यानिष्ठा से पुष्टि करता/करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा पंजीकरण प्रपत्र में उपलब्ध कराई गई कोई सूचना असत्य पाई जाती है तो ऐसे मामलों में मैं उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी तथा यदि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा मेरे विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

मैं अपने नए पंजीकरण प्रमाण-पत्र के प्राप्त होने पर केन्द्रीय नामांकन/पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली को समर्पित करने हेतु सहमत हूँ।

स्थान:.....

दिनांक :.....

(चिकित्साभ्यासी के हस्ताक्षर)

vunsk

- 1 पंजीकृत चिकित्साभ्यासियों से अनुरोध है कि वे उनके पंजीकृत पते में किसी परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को तत्काल भेजें एवं समय-समय पर की गई उन सभी पूछताछ का उत्तर भी प्रेषित करें जोकि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा उनको भेजा जा सकता है।
- 2 पते में परिवर्तन हेतु पांच सौ रुपये का शुल्क लिया जाएगा।
- 3 इस परिषद् द्वारा पंजीकृत सभी व्यक्ति भारतीय चिकित्सा में चिकित्साभ्यास करने हेतु किसी भी राज्य में कानूनी रूप से योग्य हैं।

i i = 'x'

[fofu; e 5/5½ , oa 1/8½ ns[k]k
dlnh; i athdj.k i æk.k&i =

1. केन्द्रीय पंजीकरण संख्या :
2. नाम :
3. पिता का नाम :
4. जन्म तिथि :
5. अर्हता / वर्ष :
6. प्रदत्त निकाय :
7. अतिरिक्त अर्हता / वर्ष :
8. प्रदत्त निकाय (अतिरिक्त अर्हता) :
9. राज्य पंजीकरण संख्या / तिथि :
10. राज्य बोर्ड का नाम :
11. सम्पर्क करने हेतु पता : चिकित्साभ्यास का पता :

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका में उपर्युक्त चिकित्साभ्यासी की प्रविष्टि की सत्य प्रतिलिपि है। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार इस पंजीकरण प्रमाण-पत्र की वैधता राज्य पंजीयन के अस्तित्व पर आधारित है।

i i = 'k'

[fofu; e 5/6½ ns[k]k
fons kh vgrk dk i ath; u

1. केन्द्रीय पंजीयन संख्या :
2. नाम :
3. पिता का नाम :
4. जन्म तिथि :
5. राष्ट्रीयता :
6. अर्हता वर्ष :
7. प्रदत्त निकाय :
8. अतिरिक्त अर्हता / वर्ष :
9. प्रदत्त निकाय (अतिरिक्त अर्हता) :
10. स्थायी पता (विदेशी राष्ट्र) : अस्थायी पता (भारत) :

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका में उपर्युक्त चिकित्साभ्यासी की प्रविष्टि की सत्य प्रतिलिपि है। इस प्रमाण पत्र की वैधता भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार प्रयोजनीयता है।

i i = 'M*
[fofu; e 5/7/7 ns[k]
fons kh vgrk dk vLFkbZ i at h; u

- | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|
| 1. केन्द्रीय पंजीयन संख्या | : | वैधता जब तक : |
| 2. नाम | : | |
| 3. पिता का नाम | : | |
| 4. जन्म तिथि | : | |
| 5. राष्ट्रियता | : | |
| 6. अर्हता वर्ष | : | |
| 7. प्रदत्त निकाय | : | |
| 8. स्थायी पता (विदेशी राष्ट्र) | : | अस्थायी पता (भारत) : |

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका में उपर्युक्त चिकित्साभ्यासी की प्रविष्टि की सत्य प्रतिलिपि है। इस प्रमाण पत्र की वैधता भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार प्रयोजनीयता है।

i i = 'p*
[fofu; e 6 ns[k]

jkT; i ftdk ea uke dh cgkyh grq vihy

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
आयुष मंत्रालय,
आयुष भवन, बी ब्लॉक,
जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, आई.एन.ए.,
नई दिल्ली-110023

मैं, अद्योहस्ताक्षरी.....

(कुलनाम से आरम्भ करके स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम)

जिसकी अर्हता.....हैं

(अर्हताओं की स्थिति)

घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे मामले में निम्नलिखित तथ्य हैं जिनके द्वारा मैं राज्य पंजिका में अपने नाम की बहाली चाहता/चाहती हूँ।

2. मेरा नाम
.....(राज्य का नाम) की राज्य पंजिका में सम्यक रूप से पंजीकृत किया गया था तथा मेरी पंजीकरण संख्या
तारीख..... है।

3. बोर्ड द्वारा तारीखको की गई
जॉच में यह निदेश दिया गया था कि मेरा नाम राज्य पंजिका से हटा दिया जाए तथा बोर्ड ने जिस अपराध के कारण मेरा नाम
हटाए जाने का निदेश दिया था वह.....था।

(यदि आवश्यक हो तो विवरण हेतु अलग कागज का प्रयोग करें।) (संलग्न करने के लिए राज्य बोर्ड के आदेशों की अनुप्रमाणित प्रति)

4. राज्य पंजिका से मेरा नाम हटाये जाने की तारीख
से मैं.....में निवास कर रहा/रही हूँ तथा मेरी उपजिविका
.....रही है।
5. इस मामले में मैंने राज्य सरकार से कोई अपील
नहीं की है।
6. आवेदन के वर्तमान आधार निम्नलिखित है :-
(i)
(ii)
(iii)
7. पांच हजार रुपये का निर्धारित शुल्क सचिव,
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....
.....के रूप में संलग्न है।
8. अनुरोध है कि कृपया
(राज्य) की पंजिका में मेरा नाम बहाल करने के आदेश पारित किये जायें।

LFkku -----

fnukrd-----

(चिकित्साभ्यासी के हस्ताक्षर)

पूर्ण नाम एवं पता

क. नटराजन, निबंधक-सह-सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./39/17]

यदि अंग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अंग्रेजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका) विनियम, 2016 को अन्तिम माना जायेगा।

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2017

No. 7-29/2017 (Regn.) C.R.I.M.—Regulation 2016. In exercise of the powers conferred by clauses (m), (n) and (o) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), and in supersession of the Central Council of Indian Medicine (Central Register of Indian Medicine) Regulations, 1979, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.-

(1) These regulations may be called the Central Council of Indian Medicine (Central Register of Indian Medicine) Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.- In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) 'Act' means the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970);

- (b) "Form" means form annexed to these regulations;
- (c) 'President' means the President of the Central Council elected under sub-section (2) of section 3;;
- (d) 'Registrar' means the Registrar of the Central Council appointed under clause (a) of section 12, who shall also act as the Secretary of the Central Council;
- (e) "Section" means section of the Act;
- (f) 'Vice-President' means a Vice-President of the Central Council elected under sub-section (3) of section 3;
- (g) Words and expressions used in these regulations and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Maintenance and publication of Central Register of Indian Medicine.-(1) The Registrar shall maintain Central Register of Indian Medicine arranged in four parts, namely Ayurveda, Siddha, Unani and Sowa Rigpa Systems in an alphabetical order State wise and it shall bear the seal of the Central Council.

(2) The Central Register of Indian Medicine shall be revised by updating the details of the practitioners of respective systems of medicine and the same shall be published by June, 2017 and after the publication of the first revised copy of Central Register of Indian Medicine, supplements to the Central Register of Indian Medicine shall be published in the Gazette of India every year and the Central Register of Indian Medicine shall as far as possible be revised and published every five years.

(3) The Central Register of Indian Medicine shall also bear a preface which shall contain a covering page with the seal of the Central Council, names of the State Boards with whose registers the Central Register of Indian Medicine has been compiled, abbreviations of qualifications shown in the Register, up-to-date list of recognised qualifications as specified in the Schedules to the Act, important sections pertaining to registration of practitioners of Indian Medicine and also names of the President, the Vice-President and the Members (State wise) and the Registrar of the Central Council.

(4) To revise the details of practitioners published in the Central Register of Indian Medicine, every practitioner of Indian Medicine shall register themselves through online registration system available at the website of Central Council of Indian Medicine i.e. www.ccimindia.org by providing their details as required in the Form "B" regardless that their names have already been entered in the Central Register of Indian medicine or not and after completion of verification process, Central Registration Certificate shall be issued to the practitioners applying through online and the new Central Registration Certificate shall bear security features in it to mark its genuineness.

(5) Practitioners of Ayurveda, Siddha, Unani and Sowa Rigpa belonging to the States in which the Board or Council do not exists shall register themselves directly with the Central Council to obtain the Central Registration Certificate.

(6) Practitioners of Ayurveda, Siddha, Unani and Sowa Rigpa who are foreign nationals and want to pursue Post Graduation or Post Graduate Diploma in India shall register themselves with the Central Council to obtain the (temporary) Central Registration Certificate exclusively for the purpose of study, subject to the provisions of sections 15 and 16.

(7) Practitioners of Ayurveda, Siddha, Unani and Sowa Rigpa who are possessing recognised medical qualification from a foreign country and wants to practice in India or to pursue Post Graduation or Post Graduate Diploma in India shall register themselves with the Central Council to obtain the Central Registration Certificate, subject to the provisions of sections 15 and 16.

(8) Registration Certificate or Enrolment Certificate which has been already issued by the Central Council earlier, shall be surrendered to obtain the new Central Registration Certificate.

4. Supply of information by State Boards.-(1) All the State Boards shall intimate to the Central Council the lists of registered medical practitioners as entered in their State Registers of Indian Medicine, who possess any of the recognised medical qualifications specified in the Second, Third or fourth Schedules to the Act, in the first instance and thereafter all the new entries made during every financial year and the information shall be provided only through online to the Central Council through the login credentials allotted by Central Council to every State Board in Form "A" and hard copies shall not be accepted.

(2) The State Boards shall also intimate to the Central Council immediately any change in name or registration of additional qualifications or change in address or cancellation of registration or removal of any name (as required by sub-section (1) of section 27) of a practitioner of Indian Medicine registered with the respective State Board.

5. Application for obtaining Central Registration Certificate.-(1) Applications shall be made for obtaining Central Registration Certificate through online in Form 'B' by all the practitioners of Ayurveda, Siddha, Unani and Sowa Rigpa whose names are entered in Central Register of Indian Medicine.

(2) Applications shall also be made by all the practitioners of Ayurveda, Siddha, Unani and Sowa Rigpa possessing valid State registration directly through online in Form 'B' for obtaining Central Registration Certificate (under section 25).

(3) Applications for obtaining Central Registration Certificate through online in Form 'B' shall also be made by all the practitioners of Ayurveda, Siddha, Unani and Sowa Rigpa belonging to the States in which the Board or Council do not exist.

(4) Applications shall also be made by all the practitioners of Ayurveda, Siddha, Unani and Sowa Rigpa possessing valid State registration, for obtaining registration of additional qualification(s) with the Central Council (under section 30) through online in Form 'B'.

(5) A fee of two thousand rupees shall be paid through online payment or Demand Draft as application fee for every such application as referred to in sub-regulations (1), (2), (3) and (4) and a certificate in Form 'C' shall be issued by the Registrar under his seal to all persons who have applied under the said sub-regulations.

(6) Applications shall be made through online in Form 'B' by all the practitioners of Ayurveda, Siddha, Unani and Sowa Rigpa for obtaining registration of foreign qualification(s) (under section 16) which have been recognised under the Schedules to the Act, for which ten thousand rupees shall be paid through online payment or Demand Draft as application fee and a certificate in Form 'D' shall be issued by the registrar under his seal to all persons who have applied under this sub-regulation.

(7) Applications shall be made through online in Form 'B' by all the foreign practitioners of Ayurveda, Siddha, Unani and Sowa Rigpa for obtaining temporary registration for the purpose of studying Post Graduate Course in India, for which five thousand rupees shall be paid through online payment or Demand Draft as application fee and a certificate in Form 'E' shall be issued by the registrar under his seal to all persons who have applied under this sub-regulation.

(8) Applications shall be made by all the practitioners of Ayurveda, Siddha, Unani and Sowa Rigpa with the Central Council through online in Form 'B' for change of address of residence or practice (under section 31), for which five hundred rupees shall be paid through online payment or Demand Draft as application fee and a certificate in Form 'C' shall be issued by the registrar under his seal to all persons who have applied under this sub-regulation.

(9) State Boards or Councils and applicants for registration shall follow the guidelines issued by the Central Council in its website from time to time for the purpose of furnishing information and for applying for registration respectively.

6. Appeal for restoration of name in State Register. - Any person whose name has been removed from a State Register of Indian Medicine on any ground other than that he is not possessed of the requisite medical qualification or where any application by the said persons for restoration of his name to the State Register of Indian Medicine has been rejected, may file an appeal to the Central Government under sub-section (2) of section 27 in Form 'F' and every such appeal so filed shall be accompanied by a fee of five thousand rupees in favour of Secretary, Central Council of Indian Medicine, payable at New Delhi.

FORM "A"

[See regulation 4 (1)]

Practitioners' Details in State Register

(To be submitted by the state Board to update the Central Register)

1. Personal Details

Personal Details

Practitioner's Name

Father's Name

Date of Birth

Contact Address Details

Address

State

City

Pin Code

Mobile Number

Phone No

Permanent Address Details

Is Permanent Address same as contact Address? YES/NO

Address

State

City

Pin Code

Mobile Number

Phone No

Practicing Address Details

Is Practicing Address same as Contact Address? YES/NO

Address

State

City

Pin Code

Mobile Number

Phone No

2. Qualification Details:

Qualification

State/UT from where the qualifying degree was obtained

Name of University/ Board or Medical Institution

Name of the College/Institution

Name of the recognized medical qualification achieved

Year of Passing

Registration Status

State Board Registration Number

First Date of Registration with State Board

Additional Qualification

PG Degree/PG Diploma

State from which Addl. Degree obtained

Name of the University

Institution Name

Specialization

Year of Passing

Is the additional qualification registered with your state? YES/NO

Declaration:

I, solemnly confirm that if any information provided by me in the above form is found false or against the IMCC Act 1970, I shall be held responsible in the matter. I shall have no objection if any action is taken by the CCIM against me.

Place: _____

Dated, _____

(Signature of Registrar)

FORM "B"

[See regulations 3(4) and 5(1),(2),(3),(4),(6), (7) and (8)]

Practitioner Profile Form

Practitioner Details

Name

Gender

Date of Birth

Mother's Name

System of Medicine

Email Id

Mobile Number

Declaration

I, solemnly confirm that if any information provided by me is found false, I shall be held responsible in the matter. I shall have no objection if any action is taken by the CCIM against me.

Application for Central Registration Certificate**1. Personal Details**

Personal Details

Father's Name

Spouse's Name

Place of Birth (City/ Town/ Village)

Citizen of India?

•By Birth

•By Domicile

•If not a Citizen of India then specify the name of your country

Contact Address Details

Address

State

City

Pin Code

Phone No

Present Occupation Details

Present Occupation

Current Designation

Practicing Address Details**Practicing Address 1**

•Address

•State

•City

•Pin Code

•Phone Number

Practicing Address 2

- Address
- State
- City
- Pin Code
- Phone Number

Practicing Address 3

- Address
- State
- City
- Pin Code
- Phone Number

2. Qualification Details:**Qualification**

System of Medicine

State/UT from where the qualifying degree was obtained

Name of University/ Board or Medical Institution

Name of Institution

Name of the obtained recognized Medical Qualification

Nomenclature of qualification

Year of Passing

Registration Status

State to which you belong to

Do you have a State Board Registration Number? YES/NO

Name of the State Board

State Board Registration Number

First Date of Registration with State Board

Is Renewal of State Registration applicable to you? YES/NO

Last date of State Registration Renewal

Was your Registration cancelled by your State at any time? YES/NO

Reason of Cancellation

Do you have a Central Registration Number? YES/NO

Central Registration Number

Additional Qualification

PG Degree/PG Diploma

State from which Addl. Degree obtained

Name of the University

Institution Name

Specialization

Year of Passing

Is the additional qualification registered with your state? YES/NO

Documents to be uploaded (Self-Attested)

- Proof of Age (Any one of the below documents)
- Birth Certificate
- Affidavit sworn before a Magistrate/Notary
- School leaving certificate/ Secondary school leaving certificate
- ID Number
- Upload Proof
- Residential proof / Domicile Certificate (Any one of the below documents)
- Passport
- Domicile Certificate
- Voter ID
- Card issued by UIDIA – AADHAR
- Current and Valid ration card
- Driving License
- Photo passbook of running bank account
- Registered rent agreement
- ID Number
- Upload Proof

Degree and Supporting Documents

1. Qualifying Degree Certificate (Self-Attested)
2. State Board Registration Certificate (Self-Attested)
3. Photograph (in White background)
4. Specimen Signature (in Black ink)
5. Left Thumb impression
6. Registration Certificate /Enrolment Certificate (Self-Attested) if already issued shall be surrendered to obtain new Central Registration Certificate.
7. Additional qualification degree certificate (Self-Attested)

2.Payment Details

Payment Information

Payment mode (Online)

In case of Offline payment please specify the following

DD Issue Date

Draft /Transaction Reference No

DD Amount

Bank Name

Bank Branch Code

Bank City

Upload scanned image of DD

Declaration:

I hereby understand the provision of The Indian Medicine Central Council Act, 1970, Chapter-IV - The Central register of Indian Medicine, Section # 23, 25, 26, 27, 29, 30 and 31, regarding registration and abide to follow the same. I, solemnly confirm that if any information provided by me in the registration form is found false, I shall be held responsible in the matter and I shall have no objection if any action is taken by the CCIM against me.

I agree to surrender my central enrolment/Registration certificate to the CCIM, New Delhi on receipt of my new Registration Certificate.

Place: _____

Dated, _____

(Practitioner's Signature)

INSTRUCTIONS

1. The Registered practitioners are requested to send to the Registrar immediately a notice of any change in their registered address and also to answer all enquiries that may be sent to them by the Central Council of Indian Medicine from time to time.
2. A fee of Rupees five hundred shall be charged for alteration of address.
3. All persons registered with this Council are legally qualified to practice Indian Medicine in any State.

FORM "C"

[See regulation 5(5) and (8)]

Central Registration Certificate

1. Central Registration No. :
2. Name :
3. Father's Name :
4. Date of Birth :
5. Qualification / Year :
6. Awarding Body :
7. Additional Qualification / Year:
8. Awarding Body (Additional Qualification):
9. State Registration Number. / Date :
10. Name of the state board:
11. Contact Address:

Practicing Address:

It is hereby certified that this is a true copy of the entry of the above mentioned practitioner in the Central Register of Indian Medicine. Validity of this certificate is subject to the subsistence of the State Registration as per the provisions of Indian Medicine Central Council Act, 1970.

FORM "D"

[See regulation 5(6)]

Registration of Foreign Qualification

1. Central Registration No. :
2. Name :
3. Father's Name :
4. Date of Birth :
5. Nationality :
6. Qualification Year :
7. Awarding Body
8. Additional Qualification / Year:
9. Awarding Body (Additional Qualification):
10. Permanent Address (Foreign Nation):

Temporary Address (India):

It is hereby certified that this is a true copy of the entry of the above mentioned practitioner in the Central Register of Indian Medicine. Validity of this certificate is subject to the applicability of the provisions of Indian Medicine Central Council Act, 1970.

FORM “E”

[See regulation 5(7)]

Temporary Registration of Foreign Qualification

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Central Registration No: | Validity till : |
| 2. Name : | |
| 3. Father's Name : | |
| 4. Date of Birth : | |
| 5. Nationality : | |
| 6. Qualification Year : | |
| 7. Awarding Body | |
| 8. Permanent Address (Foreign Nation): | |
| Temporary Address (India): | |

It is hereby certified that this is a true copy of the entry of the above mentioned practitioner in the Central Register of Indian Medicine. Validity of this certificate is subject to the applicability of the provisions of Indian Medicine Central Council Act, 1970.

FORM “F”

[See regulation 6]

Appeal for restoration of name in the State Register

To

The Secretary to the Government of India,
Ministry of AYUSH,
AYUSH BHAWAN , B Block,
GPO Complex, INA,
New Delhi - 110 023

1. The undersigned _____ (Full name in block letters beginning with Surname) holding qualifications of _____ (state the qualifications) do declare at the following are the facts of my case on which I seek restoration of my name in the State Register.
2. My name was duly registered in the State Register of _____ having registration number _____ (name of the State) _____ dated _____.
3. At an enquiry held on the _____ day of _____ by the State Board, my name was directed to be removed from the State Register and the offence for which the Board directed the removal of my name was _____ (use separate sheet for details if necessary) (Attested copy of the Orders of the State Board to be enclosed)
4. Since the removal of my name from the State Register, have been residing at _____ and my occupation has been _____.
5. I have not made any application to the State Government in this matter.

6. The grounds for the present appeal are as below :-

- (i)
- (ii)
- (iii)

7. The prescribed fee of five thousands Rupees is enclosed herewith as Bank Draft No._____ dated_____ in favour of Secretary, Central Council of Indian Medicine, payable at New Delhi.

8. I request that orders may be passed for restoration of my name in the State Register of_____ (State).

Place:_____

Dated_____

(Practitioner's Signature)

Full name and address

K. NATARAJAN, Registrar-cum-Secretary.

[Advt. III/4/Exty./39/17]

Note- If any discrepancy is found between Hindi and English version of Central Council of Indian Medicine (Central Register of Indian Medicine) Regulations, 2016. The English version will be treated as final.